प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023
प्र0सू0रि0 सं. 203/2023 दिनांक 28/7/2023

2. (I) अधिनियम ... .धारायें. 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) एवं 120 बी आई.पी.सी.
(II) अधिनियम .... धारायें .....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 1106 समय 1:25PM
(ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– बुधवार, 26.07.2023 समय 02.40 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 25.07.2023 समय 11.15 एएम

4. सूचना की किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– पुरानी अनाज मण्डी, दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के सामने, लालसोट, जिला दौसा
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 40 कि0मी0 लगभग, दक्षिण में
(ब)पता – पुरानी अनाज मण्डी, दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के सामने, लालसोट, जिला दौसा
बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री दिनेश चन्द मीना
(ब) पिता/पति का नाम – श्री मूलचन्द मीना
(स) जन्म तिथी/वर्ष .....करीब 30 वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय– कृषि
(ल) पता– निवासी नौगजा की ढाणी, ग्राम श्रीमॉ, तह. लालसोट, जिला दौसा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
1–श्री प्रेमराज सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, जाति जाट, उम्र 50 वर्ष, निवासी हिंगोटा, पुलिस थाना भुसावर, जिला भरतपुर, हाल हैड कानि. नं. 54, पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा
2–श्री भरत लाल सैनी पुत्र श्री हजारी लाल सैनी, उम्र 30 साल, जाति माली, निवासी उण्ड की ढाणी, डिडवाना, तह. लालसोट, जिला दौसा प्राईवेट व्यक्ति दलाल मालिक दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स, पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट, जिला दौसा

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– रिश्वती राशि 4000/–रूपये

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .....रिश्वती राशि 4000/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना पुत्र श्री मूलचन्द मीना उम्र 30 साल जाति मीना निवासी नौगजा की ढाणी, ग्राम श्रीमॉ तहसील लालसोट जिला दौसा ने दिनांक 25.07.2023 को समय 11.15 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो दौसा को कार्यवाही हेतु एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसका श्रीमान् द्वारा अवलोकन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को मार्क कर मय परिवादी के सुपुर्द की गई। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट व परिवादी को हमराह लेकर अपने चैम्बर में आया एवं लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि हमारे ग्राम में हमारी पैतृक जमीन हिस्सा 1/3, जिस पर मेरे छोटे भाई श्री अभिनव उर्फ दिलखुश, मेरे पिता श्री मूलचन्द एवं ग्राम श्रीमॉ की ढाणी चान्दा के श्री पूनीराम उर्फ भोजा व कालूराम ने हमारी जमीन पर जोतकर पेड पौधे नष्ट कर मेरी पत्नि प्रेमदेवी के साथ अभद्र व्यवहार कर मेरे एवं मेरी पत्नि के साथ मारपीट कर गहने चोरी करने पर मेरी

पत्नि द्वारा दिनांक 19.06.23 को इस्तगासे से लालसोट थाने में मुकदमा नं. 305/2023 दर्ज करवाया गया था, जिसकी जांच श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. पुलिस थाना लालसोट कर रहे है, जिन्होंने मेरे को थाने पर बुलाकर कहा कि आपको अगर आपके मुकदमे की सही व जल्दी जांच करवानी है, तो मुझे 5000/–रूपये रिश्वत के देने पडेगे। अगर आप 5000/–रूपये नहीं दोगे तो मैं आपके मुकदमे में एफ.आर. लगा दूंगा। मैंने उनको गरीब आदमी होने की काफी विनती की एवं मेरे से मांग की गई 5000/–रूपये में से कम करवाने बाबत कहा तो वे नहीं माने और कहा कि 5000/–रूपये देने ही पडेगे। मैं मेरे जायज काम के लिये उसे रिश्वत नहीं देना चाहता और उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी उससे कोई रजिंश, दुश्मनी व उधार का लेन देन बाकी नही है आप मेरी कानूनी कार्यवाही करे। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफत की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित तथ्य सही होना बताते हुए मोबाईल नंबर के बारे में पूछा गया तो अपने मोबाईल नंबर 8619323299 बताते हुए मोबाईल अपनी पत्नि प्रेमदेवी के पास लालसोट में ही छोडना बताया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत के लेन देन का पाया जाने पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ कानि0 श्री मुकेश चन्द नं. 101 को मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा के लिए समय करीब 11.45 ए.एम. पर रवाना किया। इसके बाद समय करीब 5.30 पी.एम. पर श्री मुकेश चन्द कानि. नं. 101 मय परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना के रवानाशुदा बाद गोपनीय मांग सत्यापन के संदिग्ध आरोपी प्रेमराज सिंह, हैड कानि0 पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा से उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश कर बताया कि मैं और आपका कानि. श्री मुकेश चन्द यहां से रवाना होकर पुलिस थाना लालसोट के नजदीक पहुंचे तो मेरी पत्नि प्रेमदेवी हमे पुलिस थाना के पास उपस्थित मिली, जिस पर मैंने अपनी मोटरसाईकिल को एक साईड में खडी की। इसके बाद मेरे से डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री मुकेश चन्द कानि. ने प्राप्त कर चालू कर मुझे देने की आवाज कर मुझे दिया तो मैंने उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर को अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखकर अपनी पत्नि को साथ लेकर पुलिस थाना लालसोट में अन्दर चला गया एवं मुकेश चन्द कानि. थाने के बाहर ही रूक गया। मैं और मेरी पत्नि थाने के अन्दर गये तो श्री प्रेमराज हैड कानि. हमे उपस्थित मिला, जिसने हमारे से कहा कि कोर्ट में चलेगे, प्रेमदेवी के बयान करवाने है। आप थोडी देर बाहर बैठ जाओ। इस पर मैं बाहर आकर टेप रिकॉर्डर को बन्द कर लिया। कुछ समय बाद प्रेमराज हैड कानि. ने मुझे व मेरी पत्नि को कोर्ट में ले जाकर मेरी पत्नि के बयान करवाकर हम वापस थाने पर आये और हमे कुछ देर के लिये बाहर बैठने के लिये कहा। कुछ समय बाद मैं और मेरी पत्नि श्री प्रेमराज हैड कानि. के पास पुलिस थाने के अन्दर आये तो उनके पास मेरे गांव का उप सरपंच श्री रेवडमल मीना भी उपस्थित मिला। इसके बाद श्री प्रेमराज हैड कानि. मुझे व मेरी पत्नि तथा उप सरपंच रेवडमल मीना को लेकर अपने कमरे पर चला गया। मैंने उनको उनके कमरे पर मेरी पत्नि द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमे में सही एवं जल्दी जांच करने के लिये कहा, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट कर उपसरपंच रेवडमल मीना के साथ मिलीभगत कर मेरे से मुकदमे में सही एवं जल्दी जांच करने की ऐवज में 5000/–रूपये रिश्वत की मांग कर 1000/–रूपये मौके पर ही प्राप्त कर लिये तथा शेष 4000/–रूपये दिनांक 26.07.2023 को देने के लिये कहा। इसके बाद मैं और मेरी पत्नि उसके कमरे से बाहर श्री मुकेश चन्द कानि. नं. 101 के पास आये और श्री मुकेश चन्द कानि. को डिजीटल टेप रिकॉर्डर वापस देकर ये सभी बाते उनको बताई। इसके बाद मेरी पत्नि को लालसोट ही छोडकर मैं और मुकेश चन्द वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी की बातों की ताईद श्री मुकेश चन्द कानि. ने भी की। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को चालू कर सुना तो उसमें आई वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से 5,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 1000रूपये मौके पर ही प्राप्त कर शेष 4000 रूपये रिश्वती राशि दिनांक 26.07.2023 को देने के लिये कहना तथा परिवादी द्वारा बताई गई बातो की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। परिवादी को संदिग्ध आरोपी द्वारा मांग की गई रिश्वती राशि अपने साथ लेकर दिनांक 26.07.2023 को समय 9.30 एएम पर गोपनीयता बनाये रखते हुये कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया एवं पूर्व के तलबीशुदा स्वतंत्र गवाहान को भी दिनांक 26.07.2023 को समय 9.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 26.07.2023 को पाबन्द शुदा परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना कार्यालय में उपस्थित आया जिससे संदिग्ध आरोपी श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. को उसकी मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 4000/–रूपये बाबत पूछा तो परिवादी ने अपने

पास होना बताया। परिवादी को कार्यालय में ही बैठाया गया। इसके बाद पूर्व के जरिये दूरभाष तलबी शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री मगंल सिंह मीना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 वृत्त दौसा एंव श्री दीपक शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, सा0नि0वि0 उपखण्ड नागंल राजावतान (लवाण–II) दौसा कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 25.07.2023 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अकिंत तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया। गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ंध आरोपी श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 25.07.2023 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टी से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द ट्रान्सकिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता में आरोपी श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना ने की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की पेन ड्राईव व डीवीडी बनाने हेतु दो पेन ड्राईव व दो डी.वी.डी. खाली मगंवाई जाकर पेन ड्राईव व डी.वी.डी. को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी–बारी से दो पेन ड्राईव व दो डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर दोनों पेन ड्राईव व दोनों डी.वी.डी. पर मार्क– A-1, A-2, A-3, A-4 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना के हस्ताक्षर करवाकर उक्त दो पेन ड्राईव व एक डी.वी.डी. मार्क A-1, A-2, A-3 को प्लास्टिक के कवर में अलग–अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनों पेन ड्राईव व डीवीडी को अलग–अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2, A-3 अकिंत कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर जमा मालखाना करवाया गया तथा डीवीडी मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4000/–रू0 निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अकिंत कर नोटो पर श्री नितिन यादव कनिष्ठ लिपिक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 4000/–रूपये के नोटों को रखकर उन पर नितिन यादव कनिष्ठ लिपिक से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना की जामा तलाशी गवाह श्री मंगल सिंह मीना से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 4000/–रू. के नोट श्री नितिन यादव कनिष्ठ लिपिक से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में नितिन यादव कनिष्ठ लिपिक के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी

प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले श्री नितिन यादव कनिष्ठ लिपिक के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात समय करीब 12.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना व स्टाफ सदस्य सर्व श्री मुनेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, श्री दौलत राम, हैड कानि. नं. 101, श्री झाबर सिंह कानि0 83, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101 व श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एवं श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपरवीजन हेतु दो प्राईवेट वाहन, सरकारी वाहन तथा परिवादी की मोटरसाईकिल से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना लालसोट के लिए रवाना होकर पुलिस थाना लालसोट के नजदीक पहुँचे जहां पर वाहनों को रोड के एक साईड में भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने की मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी के पास पुलिस थाना लालसोट के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार शर्मा व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के पीछे–2 रवाना होकर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये पुलिस थाना लालसोट के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। कुछ समय बाद परिवादी बिना कोई ईशारा किये हुए ही मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया एवं बताया कि श्री प्रेमराज सिंह, हैड साहब थाने पर नहीं मिले, जिस पर मैंने मेरे मोबाईल नंबर 8619323299 से उनके मोबाईल नंबर 8529151502 पर बात की तो श्री प्रेमराज हैड कानि. ने मुझे आधे घण्टे में थाने पर आने के लिये कहा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्य थाने के आस–पास खडे होकर आरोपी का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 02.14 पी.एम. पर परिवादी ने आरोपी श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. से पुनः जरिये दूरभाष कॉल कर पूछा तो आरोपी ने परिवादी को पुरानी अनाज मण्डी में दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्टस के सामने लालसोट बुलाया। इस पर परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर चालू कर संदिग्ध आरोपी श्री प्रेमराज हैड कानि. के पास पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट के लिये रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी भी परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट पर अपनी–अपनी स्थिति छिपाते हुए परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय करीब 2.40 पी.एम. पर परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना पुत्र श्री मूलचन्द मीना उम्र 30 साल जाति मीना निवासी नौगजा की ढाणी, ग्राम श्रीमॉ तहसील लालसोट जिला दौसा ने पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट में स्थित दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स की दुकान के सामने खडे होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक, महेन्द्र कुमार शर्मा व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब मैं अभी–अभी आपके निर्देशानुसार पुलिस थाना लालसोट पर गया तो श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. मुझे उपस्थित नहीं मिले, इस पर मैने मेरे मोबाईल नंबर 8619323299 से उनके मोबाईल नंबर 8529151502 पर बात की तो श्री प्रेमराज हैड कानि. ने मुझे आधे घण्टे में थाने पर आने के लिये कहा। इस पर मैंने आधे घण्टे बाद उनसे पुनः बात की तो इन्होने मुझे पुरानी अनाज मण्डी पर बुलाया, तो मैं इनके कहे अनुसार पुरानी अनाज मण्डी पर गया तो श्री प्रेमराज हैड साहब मुझे दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स दुकान के सामने मिले, जिनसे मैंने मेरी पत्नि द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमे से संबंधित बात की, तो इन्होंने मुझे अपने तयशुदा 4000/–रूपये देने के लिये कहा। इस पर मैंने अपनी पेन्ट की जेब से पाउडरयुक्त रिश्वती राशि निकाल कर इनको दी गई, तो इन्होंने मेरे से अपने दाहिने हाथ में प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के मालिक को दे दिये, जिन्होंने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर गिनकर अपने काउन्टर की बीच की दराज में रख दिये। इसके बाद मैंने मौका पाकर आपको मुकर्रर ईशारा कर दिया। इसके बाद परिवादी ने अपने पास पुलिस की वर्दी पहने हुए तीन फीत लगे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब यही श्री प्रेमराज सिंह हैड कानि. है,

जिन्होंने मेरे से अपनी तयशुदा रिश्वती राशि 4000/–रूपये मांगकर अपने दोनों हाथों से गिनकर दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के मालिक को दिये है, जिन्होंने गिनकर अपने काउन्टर की बीच की दराज में रख लिये है, जो अभी–भी बीच की दराज में रखे हुए है। इस पर श्री प्रेमराज सिंह हैड कानि0 के दोनों हाथों को अलग–अलग स्टाफ सदस्य श्री मुनेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस व श्री लोकेश कुमार कानि. से पकडने बाबत कहा तो श्री मुनेश कुमार ने आरोपी का दाहिना हाथ एवं श्री लोकेश कुमार ने आरोपी का बायां हाथ कलाई के उपर से अलग–अलग पकड लिये। तत्पश्चात् परिवादी ने दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के काउन्टर पर खडे पेन्ट टी–शर्ट पहने हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया कि ये उक्त गारमेन्ट्स की दुकान के मालिक है, जिनको श्री प्रेमराज हैड कानि. ने मेरे से प्राप्त रिश्वती राशि 4000/–रूपये गिनकर दिये है एवं जिनको इसके द्वारा गिनकर अपनी काउन्टर की बीच की दराज में रखे है। इस पर उस व्यक्ति का वायां हाथ श्री मुकेश कुमार कानि. से एंव दाहिना हाथ श्री राकेश कुमार कानि. ने कलाई के उपर से अलग–अलग पकडवाया गया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनों व्यक्तियों को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उनसे बारी–बारी से उनका नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम प्रेमराज सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, जाति जाट, उम्र 50 वर्ष, निवासी हिंगोटा, पुलिस थाना भुसावर, जिला भरतपुर, हाल हैड कानि. नं. 54, पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा होना बताया, जिससे दिनांक 25.07.2023 को मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 5000/–रूपये रिश्वत की मांग कर 1000/–रूपये मौके पर ही प्राप्त की गई राशि एवं वर वक्त ट्रेप कार्यवाही शेष प्राप्त की गई 4000/–रूपये रिश्वती राशि बाबत पूछा, तो आरोपी ने बताया कि श्री दिनेश चन्द अपनी पत्नि के साथ कल दिनांक 25.07.2023 को मेरे पास इसकी पत्नि द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 305/23 जो मेरे पास अनुसंधान में है, उसमें बयान कराने के लिये आया था। तब मैंने इनसे कोई रिश्वत की मांग नहीं की गई और ना ही प्राप्त की गई। ये अपने बयान देकर चले गये थे। इसके बाद ये आज मेरे पास पुलिस थाना लालसोट पर आया तब मैं इनको थाने पर नहीं मिलने पर इन्होंने मेरे से जरिये दूरभाष वार्ता की, तो मैंने इनको आधे घण्टे में थाने पर आने के लिये कहा था। आधे घण्टे बाद इन्होंने मेरे से दोबारा मोबाईल से वार्ता की तो मैंने इनको मेरी ड्यूटी स्थान पुरानी अनाज मण्डी पर बुलाया तो ये मेरे पास आया और मुझे कहा कि मेरा सामान दे दो, इस पर मैंने इनको कहा कि सामान तो थाने पर रखा हुआ है, थोडी देर बाद में ले जाना। इसके बाद में इन्होंने मेरे को जबरदस्ती कुछ 500–500रूपये के नोट मुडे हुए दिये, जो मैंने इनसे प्राप्त कर दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के मालिक श्री भरतलाल सैनी को दे दिये, जिन्होंने अपने हाथ से लेकर गिनकर अपने काउन्टर की बीच की दराज में रख दिये जो अभी–भी इनके काउन्टर की बीच की दराज में रखे हुए है। इस पर पास ही खडे परिवादी से पूछा गया तो परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना ने बताया कि साहब श्री प्रेमराज हैड साहब झूठ बोल रहे है, इन्होंने मेरे से मेरी पत्नि द्वारा पुलिस थाना लालसोट में दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 305/23 में सही व जल्दी कार्यवाही करने की ऐवज में दिनांक 25.07.2023 को मांग सत्यापन के दौरान 5000/–रूपये की मांग कर 1000/–रूपये मौके पर ही प्राप्त कर शेष 4000/–रूपये आज देने के लिये कहा था, जो इनके मांग के अनुसार इन्होंने मेरे से मांग कर अपने हाथ से प्राप्त कर गिनकर दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के मालिक श्री भरतलाल को दे दिये, जिन्होंने अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी दुकान के काउन्टर की बीच की दराज में रख लिये। इसके बाद दूसरे व्यक्ति को उसका नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम भरत लाल सैनी पुत्र श्री हजारी लाल सैनी, उम्र 30 साल, जाति माली, निवासी उण्ड की ढाणी, डिडवाना, तह. लालसोट, जिला दौसा हाल मालिक दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स, पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट, जिला दौसा होना बताया, जिससे आरोपी प्रेमराज हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना से 4000/–रूपये प्राप्त कर उसको देने बाबत पूछा गया तो श्री भरतलाल ने बताया कि श्री प्रेमराज हैड कानि. ने कल दिनांक 25.07.2023 को भी मेरी दुकान पर आये थे एवं आज भी ये मेरी दुकान के सामने आया और इस दिनेश चन्द मीना से 500–500 रूपये के कुल 4000/–रूपये प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर मेरे को रखने के लिये दिये और कहा कि मैं बाद में ले जाउंगा। तब मैं इनके द्वारा दिये गये 4000/–रूपयों को गिनकर अपनी दुकान के काउन्टर की बीच की दराज में रख लिये जो मेरी दराज में रखे हुए है। श्री प्रेमराज हैड साहब मेरी दुकान पर आते रहते है और अकसर पैसे रखते रहते है और बाद में ले जाते है। मुझे नहीं पता ये रूपये किस बात के है। इस पर पास ही खडे परिवादी ने बताया कि श्री प्रेमराज सिंह हैड साहब ने भरतलाल के सामने ही पैसे मेरे से मांग कर गिनकर इनको दिये। जिनको भरतलाल ने गिनकर अपनी काउन्टर की बीच वाली दराज में रख लिये। इसके बाद गवाह श्री दीपक कुमार शर्मा से श्री भरतलाल सैनी की काउन्टर की बीच की दराज को काउन्टर से बाहर निकलवाकर दिखवाया गया तो उक्त दराज में रखे अन्य कागजात के उपर रखे लाल रंग के बिल पर 500–500रूपये के नोट रखे हुए होना बताया। इस पर गवाह श्री दीपक कुमार शर्मा के पास उक्त दराज मय नोटों के सुरक्षित रखवाई गई। इसके बाद मौके

पर काफी भीड होने के कारण एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने को मध्यनजर रखते हुए श्री भरतलाल सैनी की दुकान पर उसके भाई को छोडकर आरोपी श्री प्रेमराज हैड कानि. नं. 54, पुलिस थाना लालसोट व श्री भरतलाल सैनी मालिक दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के दोनों हाथों को पकडे–पकडे ही वहां से मय स्टाफ व दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के काउन्टर की बीच की दराज लेकर रवाना होकर पुलिस थाना लालसोट में स्थित थानाधिकारी के कक्ष में आये। तत्पश्चात् पुलिस थाना लालसोट में रखी पानी की मटकी से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि.नं. 54 के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियों/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर दोनों गिलासों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके पश्चात् पूर्व की भांति दो अन्य कांच के साफ गिलासों में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री भरतलाल सैनी, मालिक दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियों/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर दोनों गिलासों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-3, R-4 व L-3, L-4 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पश्चात् दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के काउन्टर की बीच की दराज, जिसमें रखे लाल रंग के बिल पर रखी राशि, जिसको दराज सहित श्री दीपक कुमार गवाह के पास सुरक्षित रखवाई जाकर हमराह लाई गई थी, को दराज में बिल के उपर से गवाह श्री दीपक कुमार शर्मा से उठवाकर दोनों गवाहान को गिनने एवं पहचानने बाबत कहा तो गवाहान ने उक्त नोट गिनकर 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4000/–रूपये होना एवं उनके नंबरों का कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी रिश्वती राशि में अंकित नंबरों से मिलान कर हू–ब–हू होना बताया। जिनके नम्बरों की लिखा–पढी फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि में अंकित कर बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।इसके बाद पुनः एक कांच के गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह से साफ करवाकर गिलासों में साफ पानी डलवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् उक्त गिलास के घोल में आरोपी श्री भरतलाल सैनी, मालिक दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स के काउन्टर की बीच की दराज एवं उसमें रखे लाल रंग के बिल नं. 889 दिनांक 5.7.2023, जिसके उपर से रिश्वती राशि बरामद हुई थी, उक्त बिल एवं दराज का ट्रेप बॉक्स से एक साफ रूई का फौवा लेकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क D-1, D-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद दराज में रखे लाल रंग का बिल नं. 889 दिनांक 5.7.2023, जिसके उपर से रिश्वती राशि बरामद हुई थी, उक्त बिल पर व दराज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बिल को तथा रूई के फौवे को अच्छी तरह सुखाकर उक्त दराज में रखकर दराज को बिल एवं फौवे सहित एक सफेद कपडे की थैली में सिल मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क D अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्त वॉइस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व श्री प्रेमराज हैड कानि. नं. 54 के मध्य रिश्वत लेन–देन की वार्ता टेप होना पाई गई, जिसको वापस बन्द कर ट्रेप बॉक्स में रखा गया। आरोपी श्री प्रेमराज सिंह हैड कानि. 54 से परिवादी की पत्नि द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 305/23 की पत्रावली बाबत पूछा गया तो पत्रावली पुलिस थाना लालसोट के एच.एम. कार्यालय में होना बताया। परिवादी व आरोपीगण से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन–देन बाबत पूछा तो तीनों ने ही इंकार किया। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका जरिये फर्द कशीद किया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली

किया गया। तत्पश्चात् दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना के समक्ष परिवादी व आरोपी श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. नं. 54 के मध्य दिनांक 26.07.2023 को रिश्वत राशि लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द समक्ष आई वार्ता की ट्रान्सकिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता के पेन ड्राईव/डीवीडी बनाने हेतु दो पेन ड्राईव व दो डीवीडी ट्रेप बाक्स से ली जाकर खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से दो पेन ड्राईव व दो डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिशचित कर पेन ड्राईव व डीवीडी पर मार्क– B-1, B-2, B-3 व B-4 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना व आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाकर दोनों पेन ड्राईव व एक डीवीडी मार्क B-1, B-2 व B-3 को अलग–अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर कवर सहित पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क B-1, B-2 व B-3 को अलग–अलग एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क B-1, B-2 व B-3 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा डीवीडी मार्क B–4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी से संबंधित प्रकरण संख्या 305/2023 की मूल पत्रावली की फोटोप्रति करवाई जाकर बाद प्रमाणित जरिये फर्द जप्त की गई। आरोपी के सरकारी क्वार्टर, पुलिस थाना लालसोट की जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। तत्पश्चात् फर्द प्राप्ति नमूना आवाज एवं फर्द पहचान नमूना आवाज आरोपी प्रेमराज सिंह, हैड कानि. 54, पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद आरोपीगण श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. नं. 54, पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा व श्री भरतलाल सैनी, प्राईवेट व्यक्ति दलाल, दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स, पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट, जिला दौसा को अलग–अलग जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) एवं 120 बी आई.पी.सी. में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस थाना लालसोट पर व्यापार मण्डल, लालसोट के काफी व्यापारी आकर कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने लग गये, इस पर व्यापार मण्डल की भीड को देखते हुए ट्रेप कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने को मध्य नजर रखते हुये अग्रिम कार्यवाही भ्रनिब्यूरो चौकी दौसा पर किये जाने का निर्णय लेते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. नं. 54 व श्री भरतलाल सैनी, प्राईवेट व्यक्ति मालिक दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स, पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट को व जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशि, लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट व सरकारी वाहन के तथा परिवादी की मोटरसाईकिल को पुलिस थाना लालसोट में खडी करवाकर लालसोट से रवाना होकर एसीबी कार्यालय दौसा पर उपस्थित आया। जहां पर दोनों आरोपीगणों को कार्यालय में स्टाफ की निगरानी में बैठाया गया तथा जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशीयॉ व जब्त शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 4000/–रूपये को श्री बनवारी, हैड कानि. के मार्फत जमा मालखाना एसीबी दौसा करवाया गया। इसके बाद दोनों आरोपीगण का मेडीकल मुआयना करवाने एवं सुरक्षा की दृष्टि से बन्द हवालात करवाने हेतु चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय दौसा व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली दौसा के नाम तहरीर जारी कर स्टाफ सदस्यों के साथ मय सरकारी गाडी व ड्राईवर के साथ राजकीय चिकित्सालय, दौसा व पुलिस थाना कोतवाली दौसा के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्राशसील नम्बर–40 को तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को उनके निवास स्थान के लिए रवाना किया गया।

सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री प्रेमराज सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, जाति जाट, उम्र 50 वर्ष, निवासी हिंगोटा, पुलिस थाना भुसावर, जिला भरतपुर, हाल हैड कानि. नं. 54, पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री दिनेश चन्द मीना पुत्र श्री मूलचन्द मीना उम्र 30 साल जाति मीना निवासी नौगजा की ढाणी ग्राम श्रीमॉ तहसील लालसोट जिला दौसा की पत्नि श्रीमति प्रेमदेवी द्वारा अपनी पैतृक जमीन के 1/3 हिस्से पर अपने देवर, ससुर व अन्य व्यक्तियों द्वारा जोतकर व स्वयं के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा अपने व अपने पति के साथ मारपीट करने व जेवरात चोरी करने से संबंधित पुलिस थाना

लालसोट पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 305/23 की जांच सही एवं जल्दी करने की ऐवज में मांग सत्यापन दिनांक 25.07.2023 को परिवादी से 5000/–रूपये रिश्वत की मांग कर 1000/–रूपये मौके पर ही प्राप्त कर शेष राशि 4000/–रूपये दिनांक 26.07.2023 को देने के लिये कहना तथा अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 26.07.2023 को परिवादी से मांग कर प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर आरोपी श्री भरतलाल सैनी प्राईवेट व्यक्ति दलाल मालिक दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स, पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट से मिलीभगत कर उसको देना एवं श्री भरतलाल सैनी दलाल द्वारा आरोपी श्री प्रेमराज सिंह, हैड कानि. नं. 54 से रिश्वती राशि 4000/–रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी दुकान पर बने काउन्टर की बीच की दराज में रखना एवं उक्त रिश्वती राशि आरोपी की दुकान की बीच की दराज में रखे लाल रंग के बिल नं. 889 दिनांक 5.7.2023 के उपर से बरामद होने पर आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) एवं 120 बी आई.पी.सी. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण श्री प्रेमराज सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, जाति जाट, उम्र 50 वर्ष, निवासी हिंगोटा, पुलिस थाना भुसावर, जिला भरतपुर, हाल हैड कानि. नं. 54, पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा एवं श्री भरत लाल सैनी पुत्र श्री हजारी लाल सैनी, उम्र 30 साल, जाति माली, निवासी उण्ड की ढाणी, डिडवाना, तह. लालसोट, जिला दौसा प्राईवेट व्यक्ति दलाल मालिक दुकान दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स, पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट, जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(नवल किशोर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण 1. श्री प्रेमराज सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, हैड कानि0 नम्बर 54, पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा एवं 2. श्री भरत लाल सैनी पुत्र श्री हजारी लाल सैनी, निवासी उण्ड की ढाणी, डिडवाना, तहसील लालसोट, जिला दौसा, प्राईवेट व्यक्ति दलाल मालिक दुकान ''दिव्य ज्योति गारमेन्ट्स'' पुरानी अनाज मण्डी, लालसोट जिला दौसा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 203/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.7.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक- 2430-33 दिनांक 28.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2,जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला दौसा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

28.7.23

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।